न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 01/2018

दायर दिनांकः 26.03.2018

निर्णय दिनांक 16.08.2018

—:अनवान:—

श्यामलाल पिता देवीलाल जी सांवरिया, उम्र 55 वर्ष निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,राजसमंद

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ,राजसमंद प्रकरण संख्या 1599/2017 नाजायज कब्जा पटवारी हल्का केलवा जरिये सरकार बनाम श्यामलाल आदेश दिनांकः 26.12.2017 याचिका अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

अपीलांट ने तहसीलदार,राजसमंद के आदेश दिनांकः 26.12.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम राजस्व अपील दिनांकः 20.03.2018 को दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी हैं।

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध तहसीलदार,राजसमंद के समक्ष यह रिपोर्ट की गयी कि इनके द्वारा ग्राम केलवा स्थित आ0नं0 2370 रकबा 17 बीघा 6 बिश्वा चारागाह भूमि में से 2 बिश्वा भूमि पर अनाधिकृत रुप से मार्बल स्लेब रखकर अवैध कब्जा कर रखा हैं। अतः इसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कराना फरमावें। तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रावली दर्ज कर अपीलांट/अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांकः 26.12.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बैदखली एवं शास्ति रूपया 50/— आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है। राजनैतिक द्वैषता से अपीलार्थी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के आशय से स्थानीय क्षेत्र के निवासियों की शिकायत पर पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर यह कार्यवाही की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन् सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं।

अपीलांट के द्वारा अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में गुणावगुण पर अपील का विनिश्चय किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं इसलिये विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा आधिपत्य नहीं हैं उसके विरूद्ध स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजनीतिक रंजिश के कारण पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट अपीलार्थी का चारागाह भूमि आराजी नम्बर 2370 पर 2 बिश्वा भूमि पर कब्जा होना बताया। अपीलार्थी वार्ड नम्बर 16 का जिला परिषद सदस्य है एवं वार्ड नम्बर 16 के चुनाव को निरस्त कराने हेतु चुनाव याचिका प्रस्तुत कर रखी है। पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई जन प्रतिनिधि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण पाया जाता है तो उसका चुनाव निरस्त किया जा सकता है। इसी आशय से अपीलार्थी के विरूद्ध राजनीतिक द्वेषता से पटवारी हल्का केलवा द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है, जिसमें अपीलार्थी को सुने बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि की तहसीलदार,राजसमंद की पत्रावली के अवलोकन से किस्म चारागाह भूमि हैं। अपीलांट के द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रुप से मार्बल स्लेब रखकर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा बैदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु पारित किया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर उचित आदेश पारित किया हैं। अपीलांट को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य सबूत अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिए था जो कि उसका दायित्व हैं। लेकिन उसने कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही अधीनस्थ न्यायालय में यह जवाब पेश किया कि उसका कब्जा,आधिपत्य नहीं है। उक्त अपील में लिये गये आधार पश्चातवर्ती सोच है। कानूनन यह उपधारणा की जाती है कि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा,आधिपत्य था। पटवारी हल्का राजकीय सेवक है तथा राजकीय भूमि पर वर्तमान समय में प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा आधिपत्य कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जगपालसिंह बनाम पंजाब व हरियाणा राज्य के न्याय निर्णयन में चारागाह भूमि एवं राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं और इस भूमि को आवंटन एवं नियमन के संबंध में भी प्रतिबंधित कर रखा हैं। राज्य सरकार ने भी इस आदेश की पालना किये जाने बाबत अधिसूचना/परिपत्र जारी कर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित कर रखा है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के द्वारा तहसीलदार,राजसमंद के

पारित आदेश दिनांकः 26.12.2017 को इस आधार पर चुनोति दी गयी कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा,आधिपत्य नहीं है। उसके विरूद्ध स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजनीतिक द्वेषता के कारण पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की है,इसलिये उक्त आदेश को अपास्त करने के लिये निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 2370 राजस्व ग्राम केलवा की चारागाह भूमि है, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मार्बल स्लेब रखकर 2 बिश्वा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा किया जाना पाये जाने से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने हेतु नोटिस जारी किया गया जो अपीलार्थी को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी स्वयं नियत तारीख पेशी दिनांक 26.12.2017 को उपस्थित हुआ तथा स्वयं द्वारा जवाब पेश नहीं करना जाहिर करते हुए जवाब बंद करवाया गया। यह अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित होता हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही के संबंध में प्राप्त नोटिस के उपरान्त भी अपना कोई जवाब एवं सबूत पेश नहीं किये, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिकमी घोषित करते हुए उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत पाया जाता है। अपीलार्थी का अपील मेमो में यह कहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है कि उसका उक्त भूमि पर कब्जा, आधिपत्य नहीं है और पटवारी ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजनीतिक द्वेषता के आधार पर गलत रिपोर्ट की हो। यह अपीलार्थी की पश्चातवर्ती सोच हैं। यदि वास्तव में यह स्थिति होती तो अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब के जरिये इस तथ्य को प्रकट कर सकता था लेकिन ऐसा जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही विधिसम्मत हैं। अतः मैं उक्त अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 26.12.2017 को यथावत रखा जाता हैं।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद